रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---|---|---|
| सं. 236] | दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941 | [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206 |
| No. 236] | DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941 | [N.C.T.D. No. 206 |


भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## वित्त (राजस्व—1) विभाग

## दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2018

दिल्ली, 12 सितम्बर, 1019

### आदेश सं. 2/2018-राज्य कर

**सं.फा.03(61)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/420.—**चूंकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017, (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,-

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वियन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

(i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, दिल्ली सरकार, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम –** इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं ।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा ।"

4. यह अधिसूचना दिसम्बर 31, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

## FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

### THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2018

Delhi, the 12th September, 2019

**Order No. 2/2018-State Tax**

**No. F.3 (61)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/420.—**WHEREAS, sub-section (4) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 37 of the said Act provides that-

Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity-

(i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to sub-section (4) within the stipulated time;

(ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,

as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (4) of section 16 and sub-section (3) of section 37;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

**1. Short title—**This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2018.-

2. In sub-section (4) of section 16 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.".

3. In sub-section (3) of section 37 of the said Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.".

4. This order shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

**अधिसूचना**

दिल्ली, 12 सितम्बर, 1019

**सं. 27/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा.03 (54)/ वित्त (राज0–1) / 2019-20 / डीएस-VI/421.**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिस सं.फा. 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV , में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है,यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, ,-

(i) सारणी में, , -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं। | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 के उपवाक्य (iv) को देखें] |

(ख) कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv),", के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivक)," को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 15 के समक्ष कॉलम (3) के मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) गुड्स कैरिज के तीसरे पक्ष का बीमा संबंधी सेवा। | 6 | - |
| (vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), और (vi) से भिन्न वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं। | 9 | -"; |

(घ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम (3) के मद (viii) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना | राज्य कर की दर वही होगी जो | - |

| | | |
|---|---|---|
| | कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो। | |
| (viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viiक) से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं चाहे आपरेटर साथ में हो या नहीं । | 9 | -"; |

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 34 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(iiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो | 9 | -"; |

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में, मद (vi) में कोष्ठक और अंक "(ii)" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(iiक)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ङ) कॉलम (1) की क्रम संख्या 37 और कॉलम (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "38. | 9954 या 9983 या 9987 | किसी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या संस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के रूप में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की संस्थापना के बारे में दी गई हो –<br><br>(क) बायो गैस प्लांट<br>(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम<br>(ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली | 9 | -"; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (घ) विंड मिल्स,<br>(ङ) विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यूओ ईजी)<br>(च) ऊर्जा संयत्रों/उपक्रमों को कचरे<br>(छ) समुंद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपक्रम/संयत्र<br><br>*स्पष्टीकरण:-* इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर **(दर)** तारीख 30 जून, 2017 की अनुसूची I, क्र. सं. 234 के साथ पढ़ा जाएगा, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में 03(15)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है। | | |

(ii) पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (x) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(xi) "विशेष संगठन" से अभिप्राय , -

(i) कुमायूं मंडल विकास निगम लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या

(ii) 'समिति' या 'राज्य समिति', हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है।

(xii) "गुड्स कैरिज" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के उप वाक्य (14) में दिया गया हो।"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी**,** 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-Iv, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 02/09/2019 जिसे सं.फा. 03(8)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/374 दिनांक 02/09/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-Iv, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 27/2018 – State Tax (Rate)**

**No. F.3 (54)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/421.—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide noF.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 381, dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), in item (xii), after the brackets, figures and word "(xi) above", the word and number "and serial number 38 below" shall be inserted;

(b) against serial number 7, in column (3), in item (i), in Explanation 1,the words "school, college" shall be omitted;

(c) against serial number 8, -

(A) after item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(iva) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, by non-scheduled air transport service or charter operations, engaged by specified organisations in respect of religious pilgrimage facilitated by the Government of India, under bilateral arrangement. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken<br>[Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation]"; |

(B) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures "(iv),", the brackets and figures "(iva)," shall be inserted;

(d) against serial number 15, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Service of third party insurance of "goods carriage" | 6 | - |
| (vii) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), and (vi) above. | 9 | -"; |

(e) against serial number 17, for item (viii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(viia) Leasing or renting of goods | Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods | - |
| (viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viia) above | 9 | -"; |

(f) against serial number 21, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word "(i) above", the words and number "and serial number 38 below" shall be inserted;

(g) against serial number 25, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word "(i) above", the words and number "and serial number 38 below" shall be inserted;

(h) against serial number34,-

(A) against item (ii)in column (3), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;

(B) after item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(iia) Services by way of admission to exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is above one hundred rupees. | 9 | -"; |

(C) in item (iiia), the words “exhibition of cinematograph films,” shall be omitted;

(D) in column (3), in item (vi), after the brackets and figures “(ii),”, the brackets and figures “(iia),” shall be inserted;

(i) after serial number 37 in column (1) and the entries relating thereto in column (2), (3), (4) and (5) the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “38. | 9954 or 9983 or 9987 | Service by way of construction or engineering or installation or other technical services, provided in relation of setting up of following, -<br>(a) Bio-gas plant<br>(b) Solar power based devices<br>(c) Solar power generating system<br>(d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG)<br>(e) Waste to energy plants / devices<br>(f) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants<br><br>*Explanation:*-This entry shall be read in conjunction with serial number 234 of Schedule I of the notification No. 1/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide noF.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 382, dated the 30th June, 2017. | 9 | -”; |

(ii) in paragraph 4 relating to Explanation, after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely: -
“(xi) “specified organisation” shall mean, -
(a) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or
(b) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002).
(xii) “goods carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

**Note:** The principal notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 17/2018-State Tax (Rate), dated the 2nd September, 2019, vide no. F.3(8)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/374 dated the 2nd September, 2019.

## अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

**सं. 28/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(53)/ वित्त (राज0–1)/2019-20/डीएस-VI/422.**—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य **कर** (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(a) क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "21ख | शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967 | किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में, निम्नलिखित को , प्रदान की जाने वाली सेवाएं ,-<br>(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या<br>(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या<br>(ग) सरकारी एजेंसियों,<br>जिन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के उद्देश्य से दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(b) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "**27** क | शीर्षक 9971 | किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(c) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात "बैंकिंग कंपनियां एवं" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा,

(d) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963";

(e) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(f) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "74क | शीर्षक 9993 | भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो।"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त (राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 02/09/2019 जिसे सं.फा. 03(23)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/383 दिनांक 02/09/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 28/2018 – State Tax (Rate)**

**No. F.3 (53)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/422.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide noF.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 380, dated the 30thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "21B | Heading 9965 or Heading 9967 | Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, -<br>(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or<br>(b) local authority; or<br>(c) Governmental agencies,<br>which has taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services. | il | Nil"; |

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "27A | Heading 9971 | Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). | Nil | Nil"; |

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3),after the letters and words "PSUs from the", the words "banking companies and" shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -

"Heading 9992 or Heading 9963";

(e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "74A | Heading 9993 | Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). | Nil | Nil"; |

(iii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -

"(zaa) "financial institution" has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act,1934(2 of 1934).".

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

**Note:** The principal notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 23/2018-State Tax (Rate), dated the 2nd September, 2019, vide no. F.3(23)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/383 dated the 2nd September, 2019.

**अधिसूचना**

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

सं. 75/2018- राज्य कर

**सं.फा. 03(49)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/419.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,दिल्ली सरकार,वित्त विभाग (राजस्व-I)की अधिसूचना संख्या 04/2018- राज्य कर, दिनांक 23 फरवरी, 2018 जिसे सं.फा. 03(86)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/92 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में दे दिए है ।"।

2. यह अधिसूचना दिसम्बर 31, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप -सचिव -VI (वित्त)

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018- राज्य कर, दिनांक 23 फरवरी 2018 जिसे सं.फा. 03(86)/वित्त(राज.-1) /2017-18/डीएस-VI/92 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 75/2018- State Tax**

**No. F.3 (49)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/419.—** In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.04/2018- State Tax, dated the 23rd February 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(86)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92 dated 23rd February, 2018, namely:-

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnish the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 22ndDecember, 2018 to 31st March, 2019.".

2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

**Note:** The principal notification No. 4/2018-State Tax, dated 23rd February, 2018 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3 (86)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92, Dated 23rd February, 2018.

# दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

आदेश सं. 1/2019-राज्य कर

**सं.फा. 03(48)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/423.—**दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि ---

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है,उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;

(ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रुप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरुप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अत: अब,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की आदेश संख्या 01/2017-राज्य कर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 जिसे सं.फा. 03(66)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/७८२ दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है।

2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --

(i) धारा 10 की उप-धारा (1)के दसूरे परंतकु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में।

2. यह आदेश फ़रवरी 01, 2019 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.के.सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

## THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Delhi, the 12th September, 2019

### Order No. 01/2019-State Tax

**No. F.3 (48)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/423**.—WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-

(i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;

(ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Delhi Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No. 01/2017-State Tax, dated the 1st December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV vide number No. F.3 (66)/Fin (Rev-I)/2017-18/ DS-VI/782, dated the 1st December 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account-
   (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;
   (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

2. This order shall come into force with effect from the 01st day of February, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

## अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

### सं. 02/2019- राज्य कर (दर)

**सं.फा. 03(52)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/425.—**दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या

दोनों की अंत:राज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से लगाया जाएगा, यथा:-

**सारणी**

| आपूर्ति का विवरण | दर (प्रतिशत) | शर्तें |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल को या उसके पश्चात पचास लाख रुपए तक के सकल कारोबार तक माल या सेवाओं या दोनों की की जाने वाली प्रथम आपूर्ति | 3 | 1.आपूर्ति ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती हो, -<br>(i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार पचास लाख रुपए या इससे कम रहा हो;<br>(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के पात्र न हों;<br>(iii) जो ऐसी किसी आपूर्ति में संलग्न न हों जिन पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर न लगाया जाता हो;<br>(iv) जो कि किसी प्रकार के अंतर्राज्यीय बाह्य आपूर्ति में संलग्न न हों;<br>(v) जो कि न तो नैमित्तिक कर दाता हों और न ही कर देने वाले अनिवासी व्यक्ति हो;<br>(vi) जो कि ऐसे इलैक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने में संलग्न न हों जो कि धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो; और<br>(vii) जो कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न न हों जिनका विवरण नीचे दिए गए अनुबंध के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त अनुबंध के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उक्त शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों ।<br>2. जहां कि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति के पास वही परमानेंट एकाउंट नंबर हो जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहां ऐसी आपूर्तियों पर राज्य कर का भुगतान ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा इस अधिसूचना के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से किया जाता हो ।<br>3. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता से न तो किसी कर की वसूली करेगा और न ही वह किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रैडिट का हकदार होगा ।<br>4. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) में यथा संदर्भित आपूर्ति बिल, टैक्स इनवायस के स्थान पर, जारी करेगा और इसमें दिल्ली माल एवं सेवाकर नियमावली के नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे भी दिए जाएंगे ।<br>5. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति बिल के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख करेगा, यथा:- 'अधिसूचना संख्या 02/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 12.09.2019 के अनुसार कर का भुगतान करने वाला करदाता व्यक्ति, जो कि आपूर्ति पर कर की वसूली करने के लिए पात्र नहीं है'.<br>6. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान के विकल्प का चयन करता है वह उक्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 1 (1) या धारा 11 के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के बावजूद कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट सभी बाह्य आपूर्तियों पर तीन प्रतिशत के दर से राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा।<br>7. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान का विकल्प का चयन करता है वह उस अंत: आपूर्ति पर राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा जिस पर वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) या, जैसी भी स्थिति हो उप धारा (4) के अंतर्गत कर के भुगतान का दायी होता हो।<br>स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के उद्देश्य से इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की प्रात्रता का निर्धारण किए जाने हेतु "वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्रथम आपूर्ति" की अभिव्यक्ति में वे आपूर्तियां आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष के पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की होंगी जिस तारीख से वह व्यक्ति, पंजीकरण कराए जाने का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत देय कर के निर्धारण के उद्देश्य में ऐसी आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की हों जिस तारीख से वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का पात्र बनता हो। |

**अनुबंध**

| क्र. सं. | टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2105 00 00 | आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं |
| 2 | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3 | 24 | ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों। |

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के निर्धारण के लिए सकल कारोबार की गणना में ब्याज या बट्टा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक बात हो वहां तक जमा, ऋण या अग्रिम को देकर छूट प्राप्त सेवाओं की की जाने वाली आपूर्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

3. स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से,-

(i) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय का है।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स भी जैसी भी स्थिति हो, शामिल हैं, कि व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे।

4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 02/2019 – State Tax (Rate)**

**No. F.3 (52)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/425.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (herein after referred to as the "said Act"), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the State Tax, on the intra-State supply of goods or services or both as specified in column (1) of the Table below, shall be levied at the rate specified in the corresponding entry in column (2), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (3) of the said table below, namely:-

**TABLE**

| Description of supply | Rate (per cent.) | Conditions |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| First supplies of goods or services or both upto an aggregate turnover of fifty lakh rupees made on or after the 1st day of April in any financial year, by a registered person. | 3 | 1.Supplies are made by a registered person, -<br>(i) whose aggregate turnover in the preceding financial year was fifty lakh rupees or below;<br>(ii) who is not eligible to pay tax under sub-section (1) of section 10 of the said Act;<br>(iii) who is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said Act;<br>(iv) who is not engaged in making any inter-State outward supply;<br>(v) who is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;<br>(vi) who is not engaged in making any supply through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; and<br>(vii) who is not engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Annexure below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said annexure.<br><br>2.Where more than one registered person are having the same Permanent account Number, issued under the Income Tax Act, 1961(43 of 1961), State tax on supplies by all such registered persons is paid at the rate specified in column (2) under this notification.<br><br>3. The registered person shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.<br><br>4. The registered person shall issue, instead of tax invoice, a bill of supply as referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act with particulars as prescribed in rule 49 of Delhi Goods and Services Tax Rules.<br><br>5. The registered person shall mention the following words at the top of the bill of supply, namely:-'taxable person paying tax in terms of notification No. 2/2019-State Tax (Rate) dated 12.09.2019, not eligible to collect tax on supplies'.<br><br>6. The registered person opting to pay State tax at the rate of three percent. under this notification shall be liable to pay State tax at the rate of three percent on all outward supplies specified in column (1) |

| | | |
|---|---|---|
| | | notwithstanding any other notification issued under sub-section (1) of section 9 or under section 11 of said Act.<br>7. The registered person opting to pay State tax at the rate of three percent under this notification shall be liable to pay State tax on inward supplies on which he is liable to pay tax under sub-section (3) or, as the case may be, under sub-section (4) of section 9 of said Act at the applicable rates.<br>***Explanation***.-For the purposes of this notification, the expression "first supplies of goods or services or both" shall, for the purposes of determining eligibility of a person to pay tax under this notification, include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the said Act but for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the Act. |

**ANNEXURE**

| Sl. No. | Tariff item, sub-heading, heading or Chapter | Description |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2105 00 00 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. |
| 2 | 2106 90 20 | Pan masala |
| 3 | 24 | All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes |

2. In computing aggregate turnover in order to determine eligibility of a registered person to pay State tax at the rate of three percent under this notification, value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

3. *Explanation.* –For the purpose of this notification, -
(i) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

## दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

**आदेश सं. 3/2019-राज्य कर**

**सं. फा. 03(42)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/427.—**जहां कि दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल

जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथा:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक —** इस आदेश को दिल्ली माल एवं सेवाकर (कठिनाइयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 कहा जाएगा।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019 - राज्य कर (दर) दिनांक 12 सितम्बर, 2019, जिसे सं.फा. 03(52)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/425, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।

2. यह आदेश मार्च 08, 2019 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए० के० सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

## THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Delhi, the 12th September, 2019

**Order No. 3/2019-State Tax**

**No. F.3(42 )/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/427.—** Whereas, clause (c) of sub-section (3) of section 31 the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) provides that a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. **Short title.** —This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act shall apply to a person paying tax under notification No 2/2019-State Tax (Rate) dated the 12th September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV vide number **No.** F.3(52)/Fin.(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/425, dated the 12th September, 2019.

2. This order shall come into force with effect from the 8th day of March, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. - VI (Finance)

## अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 1019

**सं. 10/2019- राज्य कर**

**सं.फा. 03(50)/वित्त (राज0–1)/2019-20/डीएस-VI/424.—**दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को, उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथा:-

ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्ति में लगा हो और जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,-

(क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 की अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी हो;

(ख) जो कि ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों; और

(ग) धारा 25 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं।

**सारणी**

| क्र. सं. | टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2105 00 00 | आईस क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं |
| 2 | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3 | 24 | ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों। |

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए० के० सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

## NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 10/2019 – State Tax (Rate)**

**No. F.3 (50)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/424.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter referred to as the "said Act"), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies the following category of persons, as the category of persons exempt from obtaining registration under the said Act, namely,-

Any person, who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed forty lakh rupees, except, -

(a) persons required to take compulsory registration under section 24 of the said Act;
(b) persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table; and
(c) persons exercising option under the provisions of sub-section (3) of section 25, or such registered persons who intend to continue with their registration under the said Act.

**TABLE**

| Sl. No. | Tariff item, sub-heading, heading or Chapter | Description |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2105 00 00 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa |
| 2 | 2106 90 20 | Pan masala |
| 3 | 24 | All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. -VI (Finance)

## अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 1019

**सं. 14/2019- राज्य कर**

**सं.फा.03(51)/ वित्त (राज0–1)/2019-20/डीएस-VI/426.—**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(14)/वित्त (वित्त (राज0–1)/2017-18/डीएस-VI/357, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 8/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संयुक्त उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :-

**सारणी**

| क्रम सं. | टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2105 00 00 | आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है नहीं। |
| 2. | 2106 90 20 | पान मसाला। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | 24 | सभी माल, अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प । |

स्पष्टीकरण.-

(i) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए० के० सिंह, उप -सचिव - VI (वित्त)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2019

**No. 14/2019 – State Tax**

**No. F.3 (51)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/426.—**In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act),and in supersession of the notification No. 8/2017- State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3( 14 )/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/357, dated the 30th June, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

**TABLE**

| **Sl. No.** | **Tariff item, sub-heading, heading or Chapter** | **Description** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2105 00 00 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. |
| 2. | 2106 90 20 | Pan masala. |
| 3. | 24 | All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes. |

*Explanation.* –

(i) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.09.20 10:12:05 +05'30'